1	2	3 टिप्पणी तारीख सहित
06.09.2024	आज - रज - आज निर्गत होते आ रहा है। प्रधान पक्ष की ओर से वर्ष 2022 का Online लगान रसीद संलग्न किया गया है।	
	04 द्वितीय पक्ष की ओर से कोई भी लिखित बयान समर्पित नहीं किया गया है।	
	05 थाना के प्रतिवेदन के साथ द्वितीय पक्ष मंदोदरी देवी का आवेदन तथा केवाला संलग्न किया गया है। संलग्न केवाला सं0 11891, दिनांक 11.11.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री मंगल राम, पिता स्व0 डोमन राम के द्वारा खाता 64, प्लॉट 2359, रकबा 04 डी0 जमीन की बिक्री द्वितीय पक्ष के श्रीमति मंदोदरी देवी पति श्री शंकर पंडित, कायम जाति कुम्हार को किया गया है। थाना के प्रतिवेदन के साथ, द्वितीय पक्ष मंदोदरी देवी के नाम से Online रजिस्टर II की प्रति संलग्न की गई है। अंचल के प्रतिवेदन में भी द्वितीय पक्ष के नाम से केवाला और Online	

1	2	टिप्पणी तारीख सहित 3

06.09.2024 – अतः स्पष्ट है कि विवादित भूमि (खाता-64, प्लॉट-2359, रकबा 04डी0) SC खाता की भूमि है जो CNT Act से संचालित होता है।

CNT Act के अनुसार, SC खाता के जमीन की बिक्री गैर SC समुदाय के व्यक्ति को नहीं की जा सकती है;

द्वितीय पक्ष SC समुदाय से बाहर के व्यक्ति हैं और केवाला के माध्यम से SC खाता की जमीन खरीद कर जमाबंदी कायम करा लिये हैं।

इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार, सक्षम न्यायालय को ही है;

अतः इस वाद में निगत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

आदेश की प्रति थाना और अंचल को भेजें।

इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित;

(हस्ताक्षर) .09.2024 (हस्ताक्षर) .09.2024

दस्तावेजों की सूची

प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कथन एवं दस्तावेज जो अभिलेख में संलग्न हैः—

1. लिखित आवेदन – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. नजरिये नक्शा – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. काली दुसाध के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. मीतो गोडाएत वगै0 के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. विवादित स्थल का फोटोग्राफ की प्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. केवाला संख्या – 11891, दिनांक – 11.11.2011 की छायाप्रति – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. मंददोरी देवी के नाम से ऑनलाइन लागान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**
8. मंददोरी देवी, पतिं – शंकर पंडित के नाम से ऑनलाइन पंजी 2 की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**

द्वित्तीय पक्ष की ओर से कोई भी लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 473 दिनांक – 15.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 04 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, पंजी II की छायाप्रति – 01 पृष्ठ, खाता नं0 – 77 के ऑनलाइन खतियान की छायाप्रति – 01 पृष्ठ) – **प्रदर्श C-1**

06.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

06.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 17:22:44 +05:30
Location: 192.168.45.238